□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

□तारांकित प्रश्न □ख□□: 1024

07 □□□□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

□□□□-□□□□□□ □□□□□ष्ट

1024. □□□ □□ □ल□□□□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□□ो □□□ करगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश म विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों म वार्षिक रूप से राज्य/संघ □□ज□क्षेत्र-□□□ f□□□□ □□□□-मेडिकल अपशिष्ट उत्पन्न होता है;

(ख) उक्त अपशिष्ट के निपटान हेतु क्या प्रणाली विद्यमान है;

(□) क□□ □□ □□□□□□/□□□□ □स□□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□ष्ट (प्र□□□ □□ □□□□□) □□□□ 2016 □□ प्रावधनों का अनुपालन नहों कर रहे हो तथा यदि हां, □□ □त□□□□ ब्यौरा क्या है तथा नियमों □□ □ल□□□ करने वालों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□ क□□ कारवाई को गई है; □□

(□) □□□□□ द्वारा सम्पूण देश म अस्पतालों द्वारा उचित रूप से □□□□-मेडिकल अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित □□□□□□□□□□ क□□ प्रभावी उपाय किए गए हो/किए जा रहे हो?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) (2016, 2017 तथा 2018) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश म पैदा होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट को मात्रा का राज्यवार □□□□□ □□□□ग्न□-I □ □□□

(ख): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड तथा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 से प्राप्त सूचना के अनुसार, बायो मेडिकल अपशिष्ट को 4 प्रकार को अपशिष्ट श्रेणियों म वर्गीकृत करना अनिवाय है तथा इस

□□□□□□□□ □ो □□□□□□ 1 के तहत निर्धारित विशिष्ट अपशिष्ट विधियों के अनुसार इसका निपटान किया जाना □□□□□□

अस्पतालों के बायोमेडिकल अपशिष्ट का सामान्य बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा निपटान संकाय द्वारा निपटान किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं तक पहुँचाने म कोई सामान्य सुविधा न होने के मामले म इस प्रकार को स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं मे कैपटीव उपचार तथा निपटान सुविधा□□□□□□ □□□□□□ □□□□मेडिकल अपशिष्ट के पयावरणीय सुरक्षित निपटान हेतु 28 राज्यों म 200 प्राधिकृत सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपाचर तथा निपटान सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) ह। शेष 7 राज्यों नामतः गोवा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैण्ड तथा सिक्किम म सीबीएचटीएफ नहों है। सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त, स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं द्वारा 12,296 कैप्टीव उपचार तथा निपटान सुविधाएं स्थापित को गई है। बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोड/आबादी □□□त्र□ □□□□□ (एसपीसीबी/पीसीसी) से प्रत्येक स्वास्थ्य परिचया सुविधा, बिस्तरों तथा गैर-□□स□□ों □□□ों हेतु प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवाय है। वष 2018 को वार्षिक रिपोट के अनुसार, कुल 2,60,889 स्वास्थ्य परिचया सुविधाएं है जो प्रतिदिन 608 एमटी बायोमेडिकल अपशिष्ट पै□□ □□□□□□, □□□□ □□528 □□□□ बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन या तो सीबीडब्ल्यूटीएफ अथवा कैप्टीव निपटान सुविधीओं द्वारा किया जाता □□

बायो मेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन को सामान्य विधियाँ है। पीली श्रेणी के अपशिष्ट हेतु जलाना/प्लाज्मा □□□□□□□□□□□/□□□□□□ □□□ना; लाल श्रेणई के अपशिष्ट हेतु ऑटोक्लेविग/माइक्रोवेविग/कैमिकल किटाणुशोधन; सफेद श्रेणी के नुकोली वस्तुओं हेतु कतरन और नसबंदी, कंक्रीट के गड्ढे म दबाना/□□□र्ड्र□ □□□□ध□□ □□ रिसाईक्लिंगइनकैपसुलेशन तथा नीली श्रेणी के कांच के अपशिष्ट हेतु वार्शिग किटाणुशोधन □□□□□

(ग): वष 2018 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोड/प्रदूषण नियंत्रण समिति (एसपीसीबी/पीसीसी) से प्राप्त वार्षिक रिपोट के अनुसार बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं (एचसीएफ) अथवा सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधाओं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) के विरुद्ध 27427 उल्लंघन के मामलों को रिपोट प्राप्त हुई ह, जिसम से इस प्रकार के उल्लंघन हेतु संबद्ध एसपीसीपी/पीसीसी द्वारा 16,960 एचसीएफ/सीबीडब्ल्यूटीएफ को कारण बताओ नोटिस/निदेश जारी किए □□□ □□□□ □□□ □□ँ □□□□रान, एचसीएफ/सीबीडब्ल्यूटीएफ को एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा 46,442 □f□□/□□□□ □□□□ f□□ □□□

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड द्वारा अनुपालन को जाँच हेतु एससीएफ/सीबीडब्ल्यूटीएफ के औचक □□□क्ष□ f□□ □□ □□□ □ष, 2019 के दौरान, पयावरण (सं□क्ष□) □□□□□□□, 1986 □ो □□□□ 5 □□□□□, 33 एचसीएफ/सीबीडब्ल्यूटीएफ के विरुद्ध कारवाई को गई।

(घ): राज्यों/संघ शासित राज्यों म बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु सभी एसपीसीबी/पीसीसी को जाँच केन्द्रीय पयावरण नियंत्रण बोड द्वारा को जाती है।

[illegible] अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु सीपीसीपी ने पणधारकों हेतु निम्न दिशा-[illegible] [illegible] [illegible]-

i. [illegible] [illegible]-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा निपटान सुविधाओं हेतु संसोधित दिशा-[illegible]
ii. बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार स्वास्थ्य परिचया सुविदाओं म स्वास्थ्य परिचया अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु दिशा-[illegible]
iii. बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु बार कोड प्रणाली हेतु दिशा-[illegible]
iv. उपयोगिता हेतु बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्र[illegible] [illegible]-[illegible]
v. स्वास्थ्य परिचया सुविधाओं से उत्पन्न मकरी अपशिष्ट पदार्थों का पयावरणीय दृष्टि से उचित निपटान।
vi. "एचसीएफ तथा सीबीडब्ल्यूटीएफ के पयावरण क्षतिपूर्ति के घटक हेतु दिशा-[illegible]
vii. बायो मेडिकल अपशिष्ट इनसिरेटर के द्वितीय कमनैशन चैम्बर म दूसरे रेजिडेन्स समय के सत्यापन हेतु [illegible]-[illegible]

[illegible]

क्र. [illegible]	[illegible]	[illegible] 2016 [illegible] किग्रा / दिन	[illegible] 2017 [illegible] किग्रा / दिन	[illegible] 2018 [illegible] जनरेशन किग्रा / दिन
1	[illegible]	380	187	199.3
2	[illegible]	9898	10662.27	15144
3	अरुणाचल प्रदेश	577.4	645.4	888.67
4	[illegible]	7925.8	8564.95	7820.67
5	[illegible]	8827.69	33799.97	34812.9
6	[illegible]	1994	2503	3188
7	[illegible]	1988.85	1104.493	16096
8	[illegible]	253.9	322	331
9	दिल्ली	24996.44	24667.05	26757.5
10	[illegible]	2660.34	874	1837.1
11	[illegible]	30296	29070	33706
12	[illegible]	11171.02	11662.91	14217.88
13	[illegible]	1717.70	3018.3	2570.12
14	[illegible]	12829.98	12498.04	12788.2
15	जम्मू और कश्मीर	885.94	4618.58	4482.9
16	[illegible]	66468	67339	65621.2
17	[illegible]	37773.45	40990	71976.14
18	लक्षद्वीप	80	423	527
19	मध्य प्रदेश	12810	14824	15846.74
20	[illegible]	71511.5	61918	62418
21	[illegible]	367.49	529.14	1140.16
22	[illegible]	972.97	1061.5	1432.87
23	[illegible]	440.09	747.63	830.74
24	[illegible]	751.48	626.5	631.75
25	[illegible]	13795.34	14197.49	14564
26	[illegible]	5849.8	5400	4319.8
27	[illegible]	14668	15203	15980.7
28	[illegible]	21722.84	22502.57	22261.756
29	सिक्किम	388.44	235.21	396.7
30	[illegible]	43789.08	46818.8	47196.9
31	[illegible]	13220	15719	16243
32	[illegible]	1607	1607	1401.5
33	[illegible]	2557.32	2946	4111.39
34	[illegible]	37655	43554	46401
35	[illegible]	26858.76	29773.84	34123.62
36	[illegible]	27995.26	28470.21	6350.64
	[illegible]	517685	559084	608616

*****